तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/11/15	पत्रावली पेश हुई वकील आय वादी उपस्थित तहसीलदार हुगला से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इंतजार रिपोर्ट में दिनांक 20/11/15 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 6/11/15	
20/11/2015	पत्रावली पेश हुई वकील वादीया उपस्थित वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। वादीया श्रीमती इन्द्राबाई पत्नी भेरूलाल अहीर निवासी खेडा अहिरान की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश योगी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर० पी० ए० का प्रतिवादी श्री गोपीया पिता हरिराम गुर्जीया वगैरह निवासी पीपला के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा पीराना पटवार मण्डल पीराना के खाता संख्या 18 में वर्णित आराजी नम्बर 757 रकबा 1.5300 हेक्टेयर लगान 5.26 रुपया स्थित होकर वादीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में प्रतिवादी सं० 1 से लगायत 7 तक पड़ौसी है तथा दक्षिण पश्चिम कोने पर प्रतिवादी संख्या 8 व 9 पड़ौसी है जिन्होंने जान बूझ कर वादीया की आराजी के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है जबकि आराजी नम्बर 757 की एक मात्र स्वामी वादीया ही है वादीया द्वारा न्यायालय से आदेश प्राप्त कर अपनी खातेदारी जमीन की पत्थरगढ़ी की गई तो पता चला कि वादीया की खातेदारी आराजी नम्बर 757 के दक्षिणी दिशा में प्रतिवादी सं० 1 से लगायत 7 तक का 3 गट्ठा चौड़ा तथा 51 गट्ठा लम्बाई में कुल 6 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक का कब्जा [illegible] तथा दक्षिणी पश्चिमी कोने पर पूर्व में 12 गट्ठा चौड़ा तथा उत्तर दिशा में 6 गट्ठा चौड़ा एवं 32 गट्ठा समानान्तर यानि कि 15 बिस्वा भूमि पर मृतक चंदा पिता भेरा के वारिसान प्रतिवादी सं० 8 व 9 का कब्जा है, साक्ष्य में पर्चा मौका पत्थरगढ़ी दिनांक 30.5.2014 एवं नक्शा ट्रेस की (हस्ताक्षर)	

FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम ______________________

बनाम ______________________

______________ नं. ______________ सन् ______________

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
फोटो प्रतियां प्रमाणित पेश की है इसलिए वाद पत्र की कलम संख्या-1 में वर्णित आराजी नम्बर 757 रकबा 1.5200 हेक्टेयर भूमि पर से प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण के हिस्से पर जिसमें प्रतिवादी सं० 1 से लगायत 7 तक का 3 गट्ठा चौड़ा तथा 52 गट्ठा लम्बा कुल 6 बिस्वा भूमि पर कब्जा है तथा दक्षिण पश्चिमी कौने पर पूर्व में 12 गट्ठा चौड़ा तथा उत्तर दिशा में 6 गट्ठा चौड़ा एव 32 गट्ठा समानान्तर यानि के 15 बिस्वा भूमि पर मृतक चंदा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का कब्जा है जिसको हटाने जाने की डिक्री की जावे। प्रस्तुत वाद पत्र बाद जांच दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 की ओर से श्री दुर्गेश कुमार जोशी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा गया दिनांक 15.9.2015 को जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 बावजूद सूचना के [illegible] होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत [illegible] ओर से पेश किये गये जवाब में उल्लेख [illegible] गया कि वादीया ने रेवेन्यू कर्मचारी से मिलकर झूठा पर्चा तैयार करवाया गया जिसको मानने के लिए प्रतिवादीगण कतई बाध्य नहीं है मौके पर विधि एवं नियम के अनुसार (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कोई पत्थरगढ़ी नहीं की गई एवं वादीया ने अपने मन मकसूद तरिके से नाप लिखाया गया है एवं प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा बताया जिसे मानने को प्रतिवादीगण कतई तैयार नहीं है ना ही प्रतिवादीगण का कोई अवैध कब्जा ही है, वादीया के द्वारा मात्र 5-6 वर्ष पूर्व उक्त आराजी को श्री नाथूलाल मोगरा से खरीद की एवं वक्त खरीद के बाद से ही आज तक उक्त आराजी पर वादीया को जहां एवं जिस हालात में आराजी विक्रय की है तथा कब्जा सिपुर्द किया गया उसी के अनुसार मौके पर काबिज होकर वादीया एवं प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य 100 वर्षों पुरानी सफेद पत्थर की डोल डाल कर बाड़ लगा रखी है मौके पर बड़े-बड़े पेड़ खड़े है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा पुरानी सीमा चिन्ह से आगे बढ़कर कभी कोई कब्जा आधिपत्य नहीं किया गया है वादीया का वादपत्र सव्यय खारिज किया जावे। वाद वर्णित आराजीयात को प्रतिवादीगण को प्रतिकूल कब्जा साबित होने से खातेदारी के अधिकार दिये जावे। दिनांक 24.2.15 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाने से दिनांक 15.9.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का पेश किया गया जिसको 200/- कोस्ट पर स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई को खारिज का आदेश दिया गया तथा पत्रावली को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के जवाब के लिए नियत की गई। दिनांक 27-10.2015 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसकी प्रति वकील वादीया को सिपुर्द गई। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के जवाब में अंकन किया गया कि आ.नं. 747 वादीया की खातेदारी व कब्जे कास्त की होने का कथन स्वीकार नहीं है, स्वयं साबित करे कि

[signature] [stamp: उपखण्ड अधिकारी ...]

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

____________ नं. ____________ सन् ____________

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादीया द्वारा दिनांक 30.5.2014 को पत्थरगढ़ी कराये जाने का कथन स्वीकार नहीं है प्रतिवादीगण को कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है विधि के अनुसार कोई पत्थरगढ़ी कर पत्थर नहीं रोपे गये है। प्रतिवादी का कब्जा उनके पिता के समय से चला आ रहा है प्रतिवादीगण जहाँ काबिज है वहीं पर आज मौके पर कब्जा है वादीया द्वारा गलत वाद पेश किया गया जिसको खारिज किया जावे प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश होने के उपरान्त तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार से है।	
तनकी संख्या - 1 आया मौजा पीपाना की आराजी नम्बर 747 रकबा 1.5300 हेक्टेयर भूमि वादीया की खातेदारी की व कब्जे कास्त की है (जिम्मे वादीया)	
तनकी संख्या - 2 आया उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी वादीया द्वारा दिनांक 30-5.2014 को करवाई गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक ने 3 गट्ठा चौड़ा तथा 42 गट्ठा लम्बा दक्षिण दिशा में कब्जा कर रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के द्वारा दक्षिण पश्चिमी कोने पर पूर्व में 12 गट्ठा चौड़ा तथा उत्तर दिशा में 6 गट्ठा चौड़ा एवं 32 गट्ठा समानान्तर यानि कि 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसको वादीया पुनः प्रतिवादीगण से प्राप्त करने की अधिकारी है। (जिम्मे वादीया)	
तनकी संख्या - 3 आया प्रतिवादीगण का 100 वर्षों से अधिक का कब्जा चला आ रहा है जिससे वादीया के खातेदारी अवधि प्रतिकूल कब्जा हो जाने से प्रतिवादी खातेदारी ... अधिकारी है (जिम्मे प्रतिवादी)	

[signature] [stamp: उपखण्ड ...]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:45 IST
Reason: Attested

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] के [illegible] पश्चात कार्यवाही की मांग [illegible] की गई। दिनांक 22.10.2025 को वकील [illegible] अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 [illegible] रिपोर्ट हेतु पेश किया [illegible] वकील [illegible] को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार डूंगला [illegible] जारी किया गया तथा पत्रावली [illegible] मौका रिपोर्ट में नियत की गई। दिनांक 20 [illegible] 2025 को अधिवक्ता प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा पत्रावली को एक पक्षीय साक्ष्य हेतु नियत की गई। गवाह भेरूलाल का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश हुआ जिसको शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली को इंतजार मौका रिपोर्ट में नियत की गई। दिनांक 20.11.2025 को तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र क्रमांक /राजस्व/2025/780 दिनांक 13.11.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया गया कि मौजा पीराना की आराजी नम्बर 747 रकबा 1.5300 हे. भूमि राजस्व रेकार्ड में श्रीमती इन्दाबाई पत्नी भेरूलाल अहीर सा. खेड़ा अहिरान के नाम दर्ज रेकार्ड है मौके पर आ.नं. 747 के पश्चिम दिशा की मेड़ से पूर्व दिशा की ओर लम्बाई 7 मीटर चौड़ाई 128 मीटर कुल 0.896 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी मांगीलाल, भूरालाल, काशीराम, गोपीया, हीरा पिता हरिराम पूर्बीया गाडरी का अवैध कब्जा होकर फसल बो रखी है उक्त कब्जा के पूर्व दिशा में लगा हुआ चौड़ा 11.5 मीटर लम्बा 128 मीटर कुल 0.1472 [illegible] कब्जा है। उक्त कब्जे की पूर्वी दिशा [illegible] भूमि पर प्रतिवादी [illegible]

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

वनाम सन

नं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] पड़ी हुई है। का अवैध कब्जा होकर भूमि पर वादीया स्वयं आराजी नम्बर 747 की शेष भूमि पर वादीया स्वयं का कब्जा होने का कथन की जा रही है। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त हुई रिपोर्ट का एवं पत्रावली के साथ संलग्न पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दिनांक 30-5-2014 के सम्बन्ध में वकील वादीया की बहस को सुना गया। वकील वादीया ने बहस में कथन किया गया कि वादी की खातेदारी की आराजी नम्बर 747 पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना प्रमाणित है इसलिए इनका कब्जा हटाये जाने का आदेश किया जावे। वकील वादीया की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का एवं संलग्न राजस्व रेकार्ड दस्तावेजों आदि का अवलोकन कर परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त पाया गया कि वादीया की खातेदारी आराजी से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा को हटाया जाना न्यायसंगत है। इसलिए वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा पीराना की आ.नं. 747 रकबा 1.5300 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया जाना प्रमाणित है। इसलिए मौजा पीराना की आ.नं. 747 रकबा 1.5300 हेक्टेयर भूमि में पत्थरगढ़ी पर्चा मौका दिनांक 30/5/2014 के अनुसार आ.नं. 747 के दक्षिण दिशा में 3 गट्ठा चौड़ा 52 गट्ठा लम्बा कब्जा कुल 6 बिस्वा भूमि पर मांगीलाल, गोपीया, हीरा, भूरालाल, काशीराम, नर्बदा पिता कालीया, उदी बेवा कालीया गाडरी का तथा दक्षिणी-पश्चिमी कोने से पूर्व में	

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	12 गट्ठा चौड़ा तथा उत्तरी दिशा में 6 गट्ठा चौड़ा 32 गट्ठा समानान्तर लम्बा = 288 गट्ठा यानि कि 14 बिस्वा भूमि मृतक चंदा पिता मेरा के पुत्र मांगीलाल देवीलाल पुत्र चंदा मीणा का अवैध कब्जा को हटाया जाकर वादिया को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा मुताबिक होकर संलग्न पत्रावली हो। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला

(1) श्रीमती इन्द्राबाई पत्नी ... अहीर निवासी खे...

प्र.स. ....

वादी की ओ...
वकील श्री...
दिनांक को...
परिसर प...
रकबा 1...
पत्थरगढी...
दिशा में...
1 से ...
दक्षिणी...
32 गट्ठा...
संख्या...
भूमि...
है।
इस...
......
और...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner